संख्या-168/2017/3000/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02 नवम्बर, 2017

विषयः-छात्रवृत्ति की वेबसाइट धीमे चलने के कारण वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित समय-सारिणी ग्रुप-1,2,3 एवं 4 (कक्षा-11-12 को छोडकर) के विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सत्यापित करने की अन्तिम तिथि 02 नवम्बर 2017 से बढाकर 15 नवम्बर 2017 करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4019/स0क0/शिक्षा-अ/3/6/लखनऊ 2017-18 दिनांक-30.10.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें छात्रवृत्ति की वेबसाइट धीमे चलने के कारण वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित समय-सारिणी ग्रुप-1,2,3 एवं 4 (कक्षा-11-12 को छोडकर) के विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सत्यापित करने की अन्तिम तिथि 02 नवम्बर 2017 से बढाकर 15 नवम्बर 2017 किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-2752/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-05.09.2017 के स्तर-2 सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी (कक्षा 11-12 को छोड़कर) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करने की अन्तिम तिथि 02 नवम्बर 2017 से बढाकर 15 नवम्बर 2017 किया जाता है।

भवदीय
मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-168/2017/3000(1)/26-3-2017 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- कुल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।